

23-1-2022

पत्रावली पेश हुई। बतौर वारी उप। वही विभाग
प्रस्ताव सुनी गई। पत्रावली का अबलोनन किया
गया। विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वाद
वाली स्वीकार किया जाता है। विरुद्ध निर्णय पृथक
से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुभारंभ
भन्वर से कम हो। दारिद्र्य दफ्तर हो।

उपसंहार अधिकारी
गंजी (बोलापुर) राज.